छत्तीसगढ़ शासन
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नया रायपुर – 492002

–: अधिसूचना :–

रायपुर, दिनांक ..21../07/2016

क्र./..11353/एफ–08/89/PMFBY/2016/14–2 : : इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 9283 दिनांक 13.05.2016 में एतद् द्वारा निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

1. पूर्व अधिसूचना (अधिसूचना क्रमांक 9283 दिनांक 13.05.2016) के बिन्दु क्रमांक–6 के उपरांत 6(अ) निम्नानुसार जोड़ा जाता है –
   6(अ) ऋण प्रदाय करने वाली संस्था ऋणी कृषक को "बीमा प्रीमियम राशि" अतिरिक्त ऋण के रूप में प्रदान करेगी।
2. पूर्व अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक–9 में अंकित तालिका के क्रमांक–1, 2 और 3 यथावत रहेंगे एवं क्रमांक–3 के नीचे क्रमांक–4 से 6 तक (टीप सहित) निम्नानुसार सम्मिलित कर पढ़ी जावे–

क्र.	गतिविधि	समय सीमा
4	बीमा कंपनी द्वारा अधिकृत एजेंट के माध्यम से ऐच्छिक आधार पर बीमा कराने वाले कृषकों के घोषणा पत्र एजेंट द्वारा बीमा कंपनी को भेजने की समय सीमा	घोषणा–पत्र/प्रीमियम प्राप्त होने के 7 दिवस के भीतर
5	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक/नोडल बैंक (सहकारिता क्षेत्र हेतु) से बीमा कंपनी को प्रस्ताव प्रेषण की समय सीमा	संबंधित नोडल बैंकों से प्रस्ताव प्राप्त होने के 7 दिवस के भीतर
6	बैंकों/सहकारी समितियों/अधिकृत एजेंटों द्वारा बीमित कृषक के वितरण सॉफ्ट कॉपी में अपलोड करने की अंतिम समय सीमा	कृषकों से प्रीमियम एकत्र करने की अंतिम तिथि के 15 दिवस के भीतर
टीप:– उपरोक्त समय–सीमा/प्रक्रियाओं/कार्यवाहियों का पालन करने में बैंक/बैंकों द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि होने अथवा कट ऑफ तिथि के उपरांत बीमा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर संपूर्ण जवाबदारी संबंधित बैंक की होगी एवं प्रभावित कृषक/कृषकों को योजनान्तर्गत निर्धारित क्षतिपूर्ति के भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित बैंक की होगी।		

3. पूर्व अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक–10 के नीचे बिन्दु क्रमांक–10(अ) निम्नानुसार जोड़ा जाता है –
   10(अ) राज्य शासन को यह अधिकार रहेगा कि विभिन्न कारणों से निर्धारित समय सीमा में अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित मुख्य अथवा अन्य फसलों के निर्धारित फसल कटाई प्रयोग संपादित कराये जाने संभव नहीं हो सके, तो अधिसूचित इकाई से उच्चतर इकाई (पटवारी हल्का/राजस्व निरीक्षक मंडल) में योजना प्रावधान अनुसार निर्धारित संख्या में फसल कटाई प्रयोग संपादित कराये जा सकेंगे जो दावा गणना हेतु मान्य होंगे।
4. पूर्व अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक–11 में उल्लेखित "web portal-www.agri-insurance.cg.gov.in" के स्थान पर "web portal-www.agri-insurance.gov.in" पढ़ा जावे।
5. पूर्व अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक–11 में उल्लेखित "प्रखंड" शब्द एतद द्वारा विलोपित किया जाता है।

क्रमशः.....2

6. पूर्व अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक–13(ग) में उल्लेखित ''इस घटक के अंतर्गत अधिकतम देय सहायता प्रभावित क्षेत्र में बोनी हेतु उपयोग किये गये आदान के समतुल्य होगी'' के स्थान पर ''इस घटक के अंतर्गत अधिकतम देय सहायता प्रभावित क्षेत्र में बोनी हेतु उपयोग किये गये आदान की कीमत के अनुपात में होगी। यदि फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर अधिसूचित क्षेत्र में दावा भुगतान स्थानीय क्षतिपूर्ति से अधिक निर्धारित होता है तो दोनों में से जो भी दावा अधिक होगा, बीमित कृषक को देय होगा''।

7. पूर्व अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक–22 में अंकित तालिका के सरल क्रमांक–4 कृषि ट्रेक्टर बीमा के सम्मुख बीमित राशि एवं प्रीमियम राशि से संबंधित स्तंभों के रिक्त स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावे– ''ट्रेक्टर की बीमा राशि का निर्धारण IRDAI द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर तथा ट्रेक्टर की उम्र एवं इसके साथ ट्राली होने अथवा नहीं होने को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा तथा इस संबंध में संपूर्ण विवरण बीमाकर्ता कंपनी द्वारा कृषक को उपलब्ध कराया जायेगा।''

8. पूर्व अधिसूचना के **परिशिष्ट–1** को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर संशोधित **परिशिष्ट–1** प्रतिस्थापित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

12/7/16

(प्रदीप कुमार दवे)
संयुक्त सचिव,
छ.ग. शासन,
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पृष्ठा. क्र./ 11354 /एफ–08/89/ PMFBY/2016/14–2 रायपुर, दिनांक 21/07/2016

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग.शासन।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, कृषि, पशुधन विकास, मत्स्यपालन, जल संसाधन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, छ.ग.शासन।
3. सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली।
4. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, छ.ग. शासन।
5. अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड, अम्बादीप बिल्डिंग 14, कस्तूरबा गांधी मार्ग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली 110001।
6. सचिव, छ.ग. शासन, वित्त/ राजस्व एवं आपदा प्रबधंन/ सहकारिता/कृषि विभाग, छ.ग.शासन।
7. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छ.ग. रायपुर
8. आयुक्त सह संचालक, भू–अभिलेख, छ.ग. रायपुर
9. संचालक कृषि/ उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी /संस्थागत वित्त/आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, छ.ग., रायपुर
10. कलेक्टर जिला .... (सर्व)
11. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी बैंक मर्या. (अपेक्स) रायपुर
12. नेशनल स्टेटिकल सर्वे आर्ग्रनाईजेशन, नई दिल्ली।
13. महानिदेशक, छ.ग. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, रायपुर
14. निदेशक, केन्द्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र लालपुर रायपुर

15. विभागाध्यक्ष मौसम विज्ञान विभाग, इं.गां.कृ.वि.वि. रायपुर
16. निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) रायपुर
17. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी, रायपुर
18. क्षेत्रीय प्रबंधक, नाबार्ड, रायपुर।
19. क्षेत्रीय प्रबंधक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंश कंपनी ऑफ इंडिया लिमि. रायपुर
20. क्षेत्रीय प्रबंधक, ईफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंश कंपनी लिमि., रायपुर
21. क्षेत्रीय प्रबंधक, रिलायन्स जनरल इंश्योरेंश कंपनी लिमि. रायपुर
22. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर उक्त अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
23. संयुक्त संचालक कृषि, संभाग रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/सरगुजा।
24. उप संचालक कृषि, जिला......................(सर्व)

21.7.16

संयुक्त सचिव,
छ.ग. शासन,
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग